

# समाचार वाणी

## खबर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 26 August 2026

### बीमा पर GST शून्य : ₹30,000 मासिक प्रीमियम पर कितनी बचत ?

Sanket Morankar

Published on 22 Sep 2025



सरकार ने हाल ही में **बीमा प्रीमियम पर GST (Goods and Services Tax) को शून्य** करने का ऐलान किया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर पहले लगने वाला 18% GST समाप्त हो गया है।

यह कदम न केवल पॉलिसीधारकों के लिए राहत देने वाला है, बल्कि बीमा उद्योग में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है।

अगर कोई ग्राहक अब **₹30,000 प्रति माह** का प्रीमियम भुगतान करता है, तो GST हटने के बाद उसकी **सालाना बचत** का अनुमान इस प्रकार है:

- पहले, 18% GST के कारण मासिक प्रीमियम पर ₹5,400 टैक्स लगता था ( $₹30,000 \times 18\% = ₹5,400$ )।
- सालाना हिसाब से यह  $₹5,400 \times 12 = ₹64,800$  बनता था।

अब GST शून्य होने के बाद, ग्राहक **सालाना ₹64,800 की बचत** कर सकते हैं।

#### 1. मासिक बजट पर असर :

- प्रीमियम की रकम अब सीधे पॉलिसी में जाएगी।
- मासिक खर्च कम हो गया, जिससे लोग लंबी अवधि की पॉलिसियों के लिए आसानी से निवेश कर सकते हैं।

#### 2. बीमा कंपनियों पर प्रभाव :

- कंपनियों को GST के हिस्से के लिए रिटर्न फाइलिंग से राहत मिली।
- बीमा कंपनियों के पास नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने और पॉलिसीधारकों को बेहतर बनेफिट देने की संभावना बढ़ गई।

#### 3. निवेश और सुरक्षा :

- बीमा पॉलिसियों में निवेश अब अधिक आकर्षक हुआ ।
- जीवन और स्वास्थ्य सुरक्षा का कवरेज पहले से ज्यादा लोगों के लिए सुलभ हुआ ।

- **जीवन बीमा (Life Insurance):** टर्म प्लान, एंडोमेंट, ULIP
- **स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance):** हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकलेम
- **दूसरे पॉलिसी प्रकार :** यात्रा बीमा और अन्य कैटगरी

GST हटने से इन सभी पॉलिसियों का प्रीमियम अब **सिर्फ मूल राशि पर आधारित** होगा ।

बीमा विशेषज्ञों का मानना है कि GST हटना **ग्राहकों के लिए बड़ा फायदा** है ।

- लंबे समय से पॉलिसीधारक GST के कारण अधिक भुगतान करते थे ।
- अब यह राशि सीधे निवेश और सुरक्षा में जाएगी ।
- विशेषज्ञों का कहना है कि लोग अब **महंगे प्रीमियम वाले प्लान्स** लेने में अधिक सहज महसूस करेंगे ।

1. **बजट में राहत :** मासिक और वार्षिक खर्च कम हुआ ।
2. **लंबी अवधि की योजनाएँ:** लोग अब अधिक समय तक पॉलिसी ले सकते हैं ।
3. **अच्छे प्रोडक्ट्स में निवेश :** प्रीमियम बचत के कारण बेहतर प्लान्स का चुनाव संभव ।

एक पॉलिसीधारक ने कहा—

**“GST हटने के बाद मैं अपने स्वास्थ्य और जीवन बीमा में पहले से ज्यादा निवेश कर सकता हूँ । यह कदम वाकई राहत देने वाला है ।”**

बीमा कंपनियों ने कहा कि GST हटने से **नई योजनाओं का डिज़ाइन और मार्केटिंग** आसान होगा ।

- कंपनियों को अब टैक्स जमा और रिटर्न फाइलिंग की झंझट कम हुई ।
- पॉलिसीधारक सीधे लाभान्वित होंगे ।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम बीमा उद्योग को भी लंबी अवधि में **विकास और विस्तार** की दिशा में मदद करेगा ।

हालांकि GST शून्य होने से बचत हुई है, पॉलिसीधारकों को ध्यान रखना चाहिए:

- पॉलिसी के अन्य शुल्क और चार्जेंस अभी भी लागू हो सकते हैं ।
- पॉलिसी चयन करते समय लाभ, कवरेज और कंपनी की विश्वसनीयता पर ध्यान दें ।

सरकार द्वारा बीमा प्रीमियम पर GST शून्य करना **ग्राहकों और उद्योग दोनों के लिए लाभकारी कदम** है ।

- ₹30,000 मासिक प्रीमियम पर सालाना ₹64,800 तक की बचत संभव है ।

- जीवन और स्वास्थ्य बीमा अब और सुलभ और आकर्षक बन गए हैं ।
- यह कदम निवेशकों और पॉलिसीधारकों को वित्तीय योजना में राहत देगा ।

GST शून्य होने से बीमा पॉलिसियों का आकर्षण बढ़ा है, और यह कदम भारतीय नागरिकों की **आर्थिक सुरक्षा और वित्तीय योजना** में अहम भूमिका निभाएगा ।

---

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Sanket Morankar, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.